

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर वल्लभनगर जिला उदयपुर

वादीगण/विपक्षी :- श्रीमती मोनिका दर्जी
किस्म मुकदमा :- 09R13 C.P.C.

प्रतिवादी/प्रार्थी :- श्री गजेन्द्र दर्जी
पत्रावली संख्या :- 04 / 19 (वि.प्रा.पत्र)

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|--|
| | <p>दिनांक : 17.12.2019 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र O23R1(3क) CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा मूल वाद के सभी पक्षकरण को पक्षकार नहीं बनाया गया था जो कि बनाए जाने आवश्यक थे। इस कारण इस प्रार्थना पत्र O9R13CPC को नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इसी स्टेज पर विद्धो फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता है। इस कारण इस प्रकरण को आगे चलाने को कोई औचित्य नहीं रहा है।</p> <p>अतः अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O23R1(3क) CPC स्वीकार किया जाता है तथा नया प्रार्थना प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र O9R13CPC इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>(शैलेश सुराणा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर</p> | |

